

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु

क्रमांक: 1(जी)(1)स्था0/2026/140

दिनांक : 15.06.2026

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026 दिनांक 29.04.2026 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पृष्ठांकन क्रमांक Gen./II/06/2026/848 दिनांक 01.05.2026 द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर का नवसृजन इस न्यायक्षेत्र में किया गया है।

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या 1(जी)(1)स्था./2026/37 दिनांक 12.02.2026 को अतिष्ठित करते हुये, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(3) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (8) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं, सुश्री सोनिका पुरोहित, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु आदेश देती हूँ कि चूरु न्यायक्षेत्र में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संवर्ग एवं अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर रहने, राजकीय कार्यवश अथवा अन्य किसी कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में, उनके न्यायालय के समस्त प्रकार के आवश्यक कार्य सम्पादित किये जाने के प्रयोजन से अधोलिखित सारणी में खण्ड-प्रथम में अंकित न्यायिक अधिकारी के स्थान पर खण्ड-द्वितीय में अंकित न्यायिक अधिकारी सम्बद्ध अधिकारी (Link Judge & Magistrate) के रूप में कार्य करेंगे:-

सेशन खण्ड

खण्ड-I	खण्ड-II
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु	विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मामलात, चूरु
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मामलात, चूरु	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
विशेष न्यायाधीश पोक्सो मामलात, सं. 1, चूरु	विशेष न्यायाधीश पोक्सो मामलात, सं. 2, चूरु
विशेष न्यायाधीश पोक्सो मामलात, सं. 2, चूरु	विशेष न्यायाधीश पोक्सो मामलात, सं. 1, चूरु
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 राजगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2 राजगढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2 राजगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 राजगढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तारानगर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 राजगढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रतनगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रतनगढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सरदारशहर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु

सेशन न्यायाधीश संवर्ग के दो या अधिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति में इन अधिकारीगण के सम्बद्ध न्यायाधीश निम्नांकित रूप से रहेंगे।

खण्ड-I	खण्ड-II
विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो मामलात सं. 1, चूरु, विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो मामलात, सं.2, चूरु, एडीजे, चूरु	विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी, चूरु
एडीजे चूरु,विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो मामलात सं. 1, चूरु, विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो मामलात, सं.2, चूरु, एडीजे, चूरु, विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी, चूरु	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
एडीजे सं. 1 व एडीजे सं0 2 राजगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तारानगर
एडीजे सं. 1 व एडीजे सं0 2 राजगढ़, एडीजे तारानगर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
डीजे, एडीजे चूरु व विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी, चूरु	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 राजगढ़
एडीजे सुजानगढ़ व एडीजे रतनगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सरदारशहर
एडीजे सुजानगढ़,एडीजे रतनगढ़, एडीजे सरदारशहर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चूरु

नोट : उपरोक्त सारणी में अभिनिर्धारित व्यवस्था से संबंधित अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उनके लिंक ऑफिसर द्वारा संबंधित न्यायालय का समस्त प्रकार के आवश्यक कार्य संपादित किये जावेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश

चूरु

मजिस्ट्रेट स्तर के दो या अधिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के लिंक मजिस्ट्रेट निम्नांकित रूप से रहेंगे:-

जिल्हा एवं सेशन न्यायालय
पुणे (राज०)

(3)

एसीजेएम राजगढ़, जेएम राजगढ़, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, राजगढ़, एसीजेएम तारानगर, जेएम तारानगर	एसीजेएम राजगढ़, जेएम राजगढ़, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, राजगढ़ की अनुपस्थिति में सीजेएम चूरु कार्य करेंगे। एसीजेएम तारानगर, जेएम तारानगर की अनुपस्थिति में जेएम चूरु कार्य करेंगे।
एसीजेएम सरदारशहर व जेएम सरदारशहर	एसीजेएम सरदारशहर की अनुपस्थिति में सीजेएम, चूरु कार्य करेंगे। जेएम सरदारशहर की अनुपस्थिति में जेएम, चूरु कार्य करेंगे।
एसीजेएम सरदारशहर, जेएम सरदारशहर व सीजेएम, चूरु	जेएम, चूरु
एसीजेएम सुजानगढ़ व जेएम सुजानगढ़	जेएम बीदासर
एसीजेएम सुजानगढ़, जेएम सुजानगढ़ व जेएम बीदासर	एसीजेएम रतनगढ़
एसीजेएम सुजानगढ़, जेएम सुजानगढ़, जेएम बीदासर व एसीजेएम रतनगढ़	एसीजेएम सुजानगढ़ व एसीजेएम रतनगढ़ की अनुपस्थिति में एसीजेएम सरदारशहर कार्य करेंगे जेएम सुजानगढ़ व जेएम बीदासर की अनुपस्थिति में जेएम सरदारशहर कार्य करेंगे।

नोट : 1. उपरोक्त सारणी में अभिनिर्धारित व्यवस्था से संबंधित अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उनके लिंक ऑफिसर द्वारा संबंधित न्यायालय का समस्त प्रकार के आवश्यक कार्य संपादित किये जावेंगे।
2. राजस्थान सरकार, बाल अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.20(7)(4) बाअवि / किन्याअ/प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्ति/2016/63508 दिनांक 10.03.2017 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड्स में पदस्थापित प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लिंक ऑफिसर के रूप में नतहमदज एवं आवश्यक प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनके लिंक ऑफिसर, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किये जाने वाले urgent/ आवश्यक प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज0)

क्रमांक : 1(जी)(7)स्था./2001/

6797-6843

दिनांक : 15.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, संख्या-1 व 2, चूरु
- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मामलात, चूरु
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु/राजगढ़ सं. 1 व 2/तारानगर/सरदारशहर/ रतनगढ़/सुजानगढ़
- मुख्य/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/राजगढ़/सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़/तारानगर
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/राजगढ़/तारानगर/सरदारशहर/सुजानगढ़/बीदासर
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु
- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, राजगढ़
- जिला कलक्टर, चूरु
- जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- उप निदेशक, अभियोजन, चूरु
- सहायक लोक अभियोजक प्रथम, चूरु/राजगढ़/सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़/तारानगर
- सहायक लोक अभियोजक द्वितीय, चूरु/राजगढ़/तारानगर/सरदारशहर / सुजानगढ़/बीदासर
- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, चूरु/राजगढ़/तारानगर/सरदारशहर/रतनगढ़/सुजानगढ़/बीदासर
- एसएसओ अदालत हाजा को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज0)

6843